न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या :

02/2024

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल गोरधन पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी ढण्ड थाना बैजूपाडा जिला दौसा।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

: गैर सायल गोरधन पुत्र रामजीलाल स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः–02.04.2024

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना बैजूपाडा जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल गोरधन पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी ढण्ड थाना बैजूपाडा जिला दौसा के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र. स.	पुलिस थाना	मुकदमा नम्बर	कायमी दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	चार्जशीट दिनांक	फैसला
1.	थाना बैजूपाडा	09/2022	11.09.2022	13 RPGO	03/2022	22.09.2022	सजा 200 रूपये अर्थदण्ड दिनांक 17.10.2022
2.	थाना बैजूपाडा	19/2022	28.09.2022	13 RPGO	06/2022	30.09.2022	सजा 200 रूपये अर्थदण्ड दिनांक 10.10.2022
3.	थाना बैजूपाडा	08/2023	11.01.2023	13 RPGO	02/2023	20.01.2023	सजा 200 रूपये अर्थदण्ड दिनांक 31.01.2023

उक्त शख्स गोरधन पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी ढण्ड थाना बैजूपाडा जिला दौसा जुआं खेलने का आदि है तथा अन्य लोगों को भी जुंआ खेलने के लिये प्रेरित करता है। वर्तमान में इसकी आपराधिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी है। गैर सायल के विरूद्ध आमजन शिकायत करने से भी डरते है। गैर सायल इलाके के लोगो को जुंआ सट्टा करने एवं कराने के दुष्प्रेरण में लगा हुआ है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियों पर नियन्त्रण करने व समाज में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु यह इस्तगासा प्रस्तुत कर उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही कराने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल नियत तारीख पेशी पर लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.04.02 18:55:10 IST
Reason: SelfAttested

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल अपराधी के विरूद्ध थाना बैजूपाडा जिला दौसा में जुएं सट्टे के अपराध से सम्बन्धित धारा 13 आरपीजीओ के तीन प्रकरण दर्ज है, जिसमे गैर सायल को सजा से दण्डित भी किया जा चुका है। न्यायालय से गैर सायल को पाबन्द करवाये जाने के बाद भी गैर सायल जुएं सट्टे के अपराध में लिप्त है। गैर सायल इलाके के अन्य लोगो को भी जुएं सट्टे के दुष्प्रेरण में लगा रहा है, जिससे समाज में अशान्ति व भय उत्पन्न हो गया। उक्त शख्स के खिलाफ छोटी मोटी वारदात की रिपोर्ट देने से व गवाही देने से भी लोग डरते है। गैर सायल जुर्म करने का अभ्यस्थ हो गया है। अतः गैर सायल गोरधन पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी ढण्ड थाना बैजूपाडा जिला दौसा को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण एक्ट 1975 के अन्तर्गत धारा 3 के तहत जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है। ताकि उक्त शख्स की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग सके।

गैर सायल द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि मैं पेशे से किसान हूँ। खेती–बाडी करके अपने परिवार का जीवनयापन करता हूँ। प्रार्थी के विरूद्ध केवल मात्र 13 आरपीजीओ के प्रकरण दर्ज किये गये है। प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों में प्रार्थी को दण्डित भी किया जा चुका है। प्रार्थी के विरूद्ध वर्तमान में कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी पर सिर्फ मनोरंजन के लिये दोस्तो के साथ ताशपत्ती खेलने के कारण गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गई है। प्रार्थी मेहनत मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का जीवनयापन करता है। प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाया जावे एवं प्रार्थी के विरूद्ध की गई धारा 3 गुण्डा एक्ट अधिनियम की कार्यवाही निरस्त किये जाने का श्रम करें।

लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल के विरूद्ध पूर्व में धारा 13 आरपीजीओ के तीन प्रकरण दर्ज है, जिनमें प्रार्थी को सजा से दण्डित भी किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल गोरधन पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी ढण्ड थाना बैजूपाडा जिला दौसा जुंआ सट्टा खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुंआ सट्टा खेलने के लिये प्रेरित करने के कारण आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने से उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में लोकसभा आम चुनाव–2024 के मध्यनजर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं आमजन को जुआं–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल गोरधन पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी ढण्ड थाना बैजूपाडा जिला दौसा को दिनांक 03.04.2024 से 30 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल महवा के रास्ते होते हुये थाना कोतवाली भरतपुर जिला भरतपुर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना कोतवाली भरतपुर जिला भरतपुर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र कोतवाली भरतपुर जिला भरतपुर में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थानाधिकारी थाना कोतवाली भरतपुर जिला भरतपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं भरतपुर को पालना करवाने जाने हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.04.02 18:55:10 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह निर्णय आज दिनांक 02.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official